

हरियाणा सरकार  
हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला  
अधिसूचना

दिनांक २०.८.२०१४

क्रमांक ह० र० कृ० वि० म०/एम० ई०-१-ए०-३-२०१४/६६३१६ पंजाब कृषि उपज मण्डी (सामान्य) नियम, १९६२ के नियम २९ (१) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल द्वारा हरियाणा कृषि उपज मण्डी अधिनियम, १९६१ की अनुसूची के मद क्रमांक ३६ की कृषि उपज (गुड़) पर मार्केट फीस एक प्रतिशत से घटा कर शून्य प्रतिशत मूल्यानुसार तुरन्त प्रभाव से निर्धारित की जाती है ।



आनन्द मोहन शरण,  
मुख्य प्रशासक,  
हरियाणा राज्य कृषि विपणन मण्डल,  
पंचकूला ।